माननीय राज्यपाल ने औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

यशवन्त सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

————————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 जुलाई, 2020

संख्या एल0एल0आर0–डी0(6)–7 / 2020–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06–07–2020 को अनुमोदित कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
यशवंत सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि)।

————————

2020 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5

कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम**.––इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 है।

2. **धारा 2 का संशोधन**.––हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू कारखाना अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ड) में,–

(क) उप खण्ड (i) में शब्द ''दस'' के स्थान पर ''बीस'' शब्द रखा जाएगा; और

(ख) उप खण्ड (ii) में शब्द ''बीस'' के स्थान पर ''चालीस'' शब्द रखा जाएगा।

3. धारा 65 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (3) के खण्ड (iv) में शब्दों ''पचहत्तर से अधिक नहीं होगी'' के स्थान पर'', इस शर्त के अध्यधीन कि अतिकाल के लिए साधारण मजदूरी की दर का दो गुणा संदत्त किया जाएगा, वर्ष की किसी भी तिमाही में एक सौ पन्द्रह से अधिक नहीं होगी'', चिह्न और शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 85 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के खण्ड (i) में शब्दों ''दस'' और ''बीस'' के स्थान पर क्रमशः ''बीस'' और ''चालीस'' शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 106 ख का अंतःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 106 क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''106 ख. अपराधों का शमन.–मुख्य निरीक्षक, राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय और प्रथम बार किए गए किसी अपराध का, अभियोजन को संस्थित करने से पूर्व या उसके पश्चात् प्रशमन फीस की ऐसी रकम, जैसी वह उचित समझे, किन्तु अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम रकम से अनधिक वसूली पर किसी अपराध का शमन कर सकेगा; और जहां अपराध का शमन,–

(क) अभियोजन संस्थित करने के पूर्व किया जाता है, तो अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन हेतु दायी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में है, तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा; और

(ख) अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् किया जाता है, तो शमन से उस अपराधी की दोषमुक्ति प्रभावी होगी, जिससे अपराध का शमन हुआ है।

हस्ता0 / –
(बंडारू दत्तात्रेय),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

हस्ता0 / –
(यशवन्त सिंह चोगल),
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः 2020

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Himachal Pradesh Ordinance No. 5 of 2020

THE FACTORIES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE to amend the Factories Act, 1948 (Act No. 63 of 1948) in its application to the State of Himachal Pradesh.

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of the State of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exists which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Factories (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Factories Act, 1948, in its application to the State of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (m),—

(a) in sub-clause (i), for the word "ten", the word " twenty" shall be substituted; and

(b) in sub-clause (ii), for the word "twenty", the word "forty" shall be substituted.

3. Amendment of section 65.—In section 65 of the principal Act, in sub- section (3), in clause (iv), for the words "seventy-five", the words "one hundred and fifteen subject to the condition that overtime shall have to be paid twice the rate of ordinary wages" shall be substituted.

4. Amendment of section 85.—In section of the principal Act, in sub-section (1), in clause (i), for the words "ten" and "twenty", the words "twenty" and "forty" shall be substituted respectively.

5. Insertion of section 106 B.—After section 106 A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"106 B. Compounding of offences.- Any offence punishable under this Act with fine only and committed for the first time, may subject to any general or special order of the State Government, be compounded by the Chief Inspector, either before or after the institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee as he thinks fit, but not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence; and where the offence is compounded,—

(a) before the institution of prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty; and

(b) after the institution of the prosecution, the composition shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offence has been compounded.".

Sd/-
(BANDARU DATTATREYA),
Governor,
Himachal Pradesh.

Sd/-
(YASHWANT SINGH CHOGAL),
Principal Secretary (Law).

Shimla:

Dated …….. 2020